

झारखण्ड विधान सभा

कार्य सूची

पंचम झारखण्ड विधान-सभा

[दशम्(शीतकालीन)सत्र]

मंगलवार,तिथि-

20दिसम्बर, 2022 (ई0)

29 अग्रहायण, 1944(श0)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाह्न)

प्रारम्भिक-कार्य

- (01)- सभा के गत-सत्र के अतारांकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (02)- अल्प-सूचित प्रश्न तथा उनके उत्तर।
- (03)- शून्यकाल की सूचनाएँ।

-: ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ एवं उस पर सरकार का वक्तव्य :-

- (04)- श्री नलिन सोरेन, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (05)- श्री बिरंची नारायण, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (06)- श्री प्रदीप यादव, स0वि0स की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (07)- डॉ0 लम्बोदर महतो, स0वि0स0की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (वित्त विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (08)- सर्वश्री सुदिव्य कुमार, मथुरा प्रसाद महतो एवं श्री सुखराम उराँव, स0वि0 स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग) की ओर से वक्तव्य।

-: समितियों का गठन :-

- (09)- झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन (यदि हो)।

-:2:-

-: सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

(10)- झारखण्ड विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा-पटल पर रखा जाना (यदि हो)।

(11)- याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो)।

-: वित्तीय-कार्य :-

(12)- वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० रामेश्वर उराँव द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन।

-: विधेयक की वापसी :-

(13)-प्रभारी मंत्री, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक-09 सितम्बर, 2021 को सभा द्वारा पारित “झारखण्ड वित्त विधेयक, 2021” जिसे राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड द्वारा कतिपय त्रुटियों के कारण वापस कर दिया गया है, को झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-110 के अधीन सभा द्वारा वापस लिया जाय।

(14)- प्रभारी मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक-24 मार्च, 2022 को सभा द्वारा पारित “झारखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2022” जिसे राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड द्वारा कतिपय त्रुटियों के कारण वापस कर दिया गया है, को झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-110 के अधीन सभा द्वारा वापस लिया जाय।

(15)-प्रभारी मंत्री, वाणिज्य कर विभाग, प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक-03 अगस्त, 2022 को सभा द्वारा पारित “झारखण्ड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान विधेयक, 2022” जिसे राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड द्वारा कतिपय त्रुटियों के कारण वापस कर दिया गया है, को झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-110 के अधीन सभा द्वारा वापस लिया जाय।

(16)- अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।
कृ०पृ०३०

-:3:-

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०८/२०२२-...../वि०स०,राँची,दिनांक-..... 19/12/22

प्रतिलिपि:- माननीय सदस्यगण,झारखण्ड विधान-सभा,राँची/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/सरकार के मुख्य सचिव,झारखण्ड/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/ लोकसभा, नई दिल्ली/झारखण्ड सरकार के समस्त विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

-: एक-छात्र :-

~~389~~
19.12.2022

(हरेन्द्र कुमार साह)

उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०८/२०२२-...../वि०स०,राँची,दिनांक-..... 19/12/22

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव,अध्यक्षीय कार्यालय एवं निजी सहायक,सचिवीय कार्यालय को कृपया: माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

~~389~~
19.12.2022

उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०८/२०२२-...../वि०स०,राँची,दिनांक-..... 19/12/22

प्रतिलिपि:- झारखण्ड विधान-सभा के सभी पदाधिकारीगण/वेबसाईट शाखा/पुस्तकालय शाखा ,जनसम्पर्क शाखा एवं झारखण्ड विधान-सभा टी०वी० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

~~389~~
19.12.2022

उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा,राँची।

गोपी कृष्ण भगत

दस्तावेज
19.12.22